

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	352]	नई दिल्ली बृहस्पतिवार, जून 13, 2019/ज्येष्ठ 23, 1941
No.	352]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2019/JYAISTHA 23, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2019

सा.का.िन. 419(अ).—पर्यावरण राहत कोष स्कीम, 2008 के पैरा 4 के उप-पैरा (2) के साथ पठित लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 7 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार संख्या सा.का.िन. 606(अ) दिनांक 16 जून, 2016 के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्निलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में ''31 मार्च, 2019'' अंकों, अक्षरों और शब्दों के लिए ''30 जून, 2019'' अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 18-13/91-पीएल-एचएसएमडी]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 606(अ) दिनांक 16 जून, 2016 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- \mathbf{II} , खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2019

G.S.R. 419(E).—In exercise of the powers conferred by section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), read with sub-paragraph (2) of paragraph 4 of the Environment Relief Fund Scheme, 2008, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of

2862 GI/2019 (1)

Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R. 606 (E), dated the 16th June 2016, namely:—

In the said notification, for the figures, letters and word " 31^{st} March, 2019", the figures, letters and word " 30^{th} June, 2019", shall be substituted.

[F. No. 18-13/91-PL-HSMD]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 606 (E), dated the 16th June, 2016.